

राजस्थान सरकार  
पर्यावरण विभाग

कमरा नं. 8325, उत्तरी-पश्चिमी खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर  
फोन : 0141-2227669, 2227393 फैक्स नं. 0141-2227669  
ई-मेल env\_raj@yahoo.co.in

दिनांक : F.8(5)/EIA/Env./2006

जयपुर, दिनांक: 04-01-2019

अल्प कालीन निविदा सूचना - 2

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निदेशालय पर्यावरण विभाग, जयपुर में राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि 1952, राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अंतर्गत एवं वस्तु एवं सेवा कर (GST) में पंजीकृत सेवा प्रदाता एजेंसी/फर्मो/कम्पनियों के माध्यम से कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक से 23.02.2019 तक की अवधि में 03 मैन विथ मशीन (उच्च कुराल श्रमिक कम्प्यूटर ऑपरेटर मय कम्प्यूटर, प्रिंटर इत्यादि) की सेवायें जॉब बेसिस उपलब्ध करवाने हेतु कोटेशन आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें इस निविदा के साथ संलग्न हैं। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें दिनांक 07.01.2019 से 11.01.2019 तक की अवधि में (कार्य दिवसों में) दोपहर 2.00 बजे तक इस कार्यालय की रोकड शाखा से निर्धारित निविदा शुल्क राशि ₹ 200/- नकद जमा करा कर प्राप्त किये जा सकते हैं तथा राजस्थान लोक उपापन पोर्टल (WWW.sppp.raj.nic.in) से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। डाउनलोड की गई निविदा के साथ निविदा शुल्क राशि ₹ 200/- एवं निविदा की अनुमानित राशि ₹ 0.45 लाख की 2 प्रतिशत अमानत राशि ₹ 900/- का पृथक-पृथक डीडी जो कि निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, जयपुर के नाम देय हो संलग्न करना आवश्यक है। अमानत राशि एवं वांछित दस्तावेजों के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

पूर्ण रूप से भरी हुई निविदायें दिनांक 11.01.2019 को दोपहर 3.00 बजे तक इस निदेशालय के कार्यालय में प्राप्त की जाकर उसी दिन दोपहर 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

Sd/  
(एस.आर.वी.मूर्धे)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव  
जयपुर, दिनांक

दिनांक : F.8(5)/EIA/Env./2006

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. उप निदेशक (आईटी), राजस्थान लोक उपापन नियम, कार्यालय हाजा को उक्त निविदा सूचना को राजस्थान लोक उपापन नियम पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
2. लेखाकार/कैशियर, निदेशालय पर्यावरण विभाग, जयपुर।
3. नोटिस बोर्ड।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

कार्य का नाम:- मैन विथ मशीन मय कम्प्यूटर ऑपरेटर का जॉच कार्य

## राजस्थान सरकार पर्यावरण विभाग

कमरा न. 8325, उत्तरी-पश्चिमी खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर  
फोन : 0141-2227669, 2227393 फैक्स नं. 0141-2227669

### निविदा-प्रपत्र

पर्यावरण विभाग, जयपुर में 03 मैन विथ मशीन मय कम्प्यूटर ऑपरेटर का कार्य जा बेसिस पर कराने हेतु निविदा।

1. सेवा प्रदाता एजेन्सी/बेलेदाता/कम्पनी का नाम एवं पूर्ण पता:.....
2. ईमेल आईडी: मोबाईल नं
3. निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक- 11.01.2019 दोपहर 3:00 बजे तक
4. निविदा खोले जाने की दिनांक -11.01.2019 दोपहर 4:00 बजे
5. निविदा सूचना संख्या.....दिनांक.....
6. निविदा शुल्क जमा कराने का विवरण:-
7. अमानत राशि जमा कराने का विवरण:-
8. जॉब बेसिस पर सेवाओं के उपासन के लिये निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी:-

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिको को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या	EPF दर प्रतिशत	EPI दर प्रतिशत	समग्री राशि/ उपकरण किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	मैन विथ मशीन मय कम्प्यूटर	श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर	श्रमिक की संख्या	राशि				
		उच्च कुशल (मैन विथ मशीन मय कम्प्यूटर ऑपरेटर)	रु0 7358/- प्रतिमाह एवं रु0 283/- प्रतिदिन	03	7358X3= 22074.00 प्रतिमाह	13.61 %	4.75%		

उपरोक्त दरों पर वस्तु एवं सेवा (GST) की नियामनुसार दर प्रतिशत नें.....

उपर्युक्त तालिका में सतम्भ संख्या 8 एवं 9 ही बेलेदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां की जानी है।

नोट:- श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम दर वाली निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

मुझे इस निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त शर्तें मंजूर है।

हस्ताक्षर निविदादाता  
निविदादाता का नाम एवं पूर्ण पता

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1945				
4	वस्तुत एवं सेवा कर (GST)				
5	आय कर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

## निविदा की शर्तें

1. निविदा ठीक प्रकार से मुहरबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। निविदा लिफाफे पर मैन विथ मशीन का कार्य जॉब बेसिस पर कराने हेतु निविदा स्पष्ट रूप लिखा हुआ होना चाहिए। निविदा विभाग द्वारा जारी प्रपत्र पर ही स्वीकार की जावेगी।
2. अनुमोदित बोलीदाता/संवेदक की अवधि कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक से 28.02.2019 तक होगी तथा कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में ठेका अवधि को आगामी छ माह तक बढ़ाने एवं अनुबन्ध की अवधि को कम व अधिक करने का पूर्ण अधिकार अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) को होगा।
3. ठेका अनुमोदन होने पर अनुमोदित/संवेदक द्वारा ₹0 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सात दिवस की अवधि में अनुबन्ध प्रस्तुत करना होगा जिसका समस्त व्यय बोलीदाता/संवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। सफल बोलीदाता/संवेदक को अनुमोदित ठेका राशिकी 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में डी डी/बैंकर चेकजो कि अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) निदेशालय चिकित्सा शिक्षा जयपुर के नाम देय हो प्रस्तुत होगा। प्रतिभूति राशि पर इस कार्यालय द्वारा कोई व्याज नहीं दिया जावेगा।
4. बोलीदाता/संवेदक द्वारा मैन विथ मशीन के कार्य पर जॉब बेसिस पर उपलब्ध कराये जाने वाले कम्प्यूटर ऑपरेटर पूर्णतः अस्थाई होंगे तथा जॉब बेसिस के अनुबन्ध की अवधि समाप्त होते ही जॉब कार्य में लगाये गये कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाये स्वतः ही समाप्त हो जावेगी एवं कोई भी कम्प्यूटर नियमित नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
5. बोलीदाता/संवेदक द्वारा अक्षयक एवं अशक्त व्यक्तियों को जॉब कार्य पर नहीं लगाया जावेगा।
6. बोलीदाता/संवेदक द्वारा अपने कम्प्यूटर ऑपरेटर से जॉब बेसिस पर प्रतिदिन प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक जॉब कार्य सम्पादित कराना होगा। आवश्यकता होने पर राजकीय अवकाश एवं कार्यालय समय पूर्व व पश्चात भी जॉब कार्य सम्पादित कराना होगा। कार्य दिवसों में प्रतिदिन 04 कम्प्यूटर ऑपरेटरों से जॉब बेसिस पर मैन विथ मशीन का कार्य कराया जावेगा तथा जॉब बेसिस लिये गये मैन विथ मशीन की संख्या को कम व अधिक करने का अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) को पूर्ण अधिकार होगा।
7. बोलीदाता/संवेदक के किसी श्रमिक द्वारा कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने/अवांछित गतिविधियों में लिप्त पाये जाने अथवा अनापेक्षित आचरण करने संबंधी प्राप्ति होने पर अथवा अन्य प्रकार से प्रशासन के ध्यान में आने पर यदि प्रशासन उस श्रमिक को हटाने के निदेश बोलीदाता/संवेदक को देता है तो बोलीदाता/संवेदक द्वारा उस श्रमिक को तुरन्त हटाना होगा।
8. इस कार्य हेतु श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रवचानों के तहत कोई लाईसेंस अथवा अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो यह बोलीदाता/संवेदक स्वयं के खर्च पर प्राप्त करेगा तथा आवश्यकता होने पर प्रस्तुत करेगा। बोलीदाता/संवेदक को अपने कामकारी के कार्य दिवस, कार्य के घण्टे, दिये गये चारिश्रमिक इत्यादि की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना व अन्य समस्त प्रकार के रिकार्ड को तैयार करने एवं तदुपरांत सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी बोलीदाता/संवेदक की होगी। इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
9. बोलीदाता/संवेदक को निदेशालय में स्थापित किये जाने वाले सभी कम्प्यूटर उपकरण (कम्प्यूटर यूनिट, यथा सीपीयू, मॉनिटर, की-बोर्ड, माउस, प्रिंटर व यू.पी.एस इत्यादि) निम्नांकित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप उपलब्ध कराने होंगे:-

Computer:- Intel Core i3/Equivalent AMD based Computer or higher speed, RAM 4GB or higher, Hard Disk 500 GB, 15" Monitor/TFT or bigger, 10/100/1000 mbps LAN Card DVD Writer, Standard keyboard, Optical Mouse, Standard Serial, parallel & USB ports, Windows 7 or higher, Anti, Virus, Preinstalled MS office. Responsibility of software license will be borne by bidder.

10. उपकरण स्थापित करने लिए स्थान एवं बिजली की फीटिंग की व्यवस्था इस निदेशालय द्वारा की जावेगी। कार्यालय बंद होने के बाद उपकरण ताले में रखे जा सकें संबंधी व्यवस्था इस निदेशालय द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी।
11. बोलीदाता/संवेदक को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाये जारी रखनी होगी। प्रिंटर में प्रयुक्त होने वाला नया टोनर/नया रिबन प्रथम बार निविदादाता द्वारा दिया जावेगा, तत्पश्चात विभाग द्वारा रिफिलिंग पर होने वाला व्यय वहन किया जायेगा परन्तु प्रिंटर की कॉटेज खराब होने पर बोलीदाता/संवेदक द्वारा स्वयं के खर्च पर नई टोनर कॉटेज विभाग को उपलब्ध कराना होगा।
12. किसी भी माह में छार कार्य दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रख जायेगा। यह भी पूर्व में सूचना देकर ही किया जा सकेगा। इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने पर चाहे वह कम्प्यूटर ऑपरेटर की गैर हाजरी के कारण या किसी खराबी के कारण हो तो दैनिक राशि में से प्रतिदिन 200/- रूपये की कटौति की जावेगी।
13. विशेष परिस्थितियों में संबंधित विभाग द्वारा छार की अवधि को बढ़ा सकते हैं जिसके लिये उसे लिखित में कारण अंकित करने होंगे एवं यदि बड़ी हुई अवधि में कोई आवश्यक कार्य होगा तो यह बोलीदाता/संवेदक को प्रत्येक स्वयं के खर्च पर करवा देना होगा।

14. कम्प्यूटर सिस्टम को सही तरीके से कार्यरत स्थिति में संचालित रखने की पूर्ण जिम्मेदारी बोलोदाता/संवेदक की होगी। इसके लिए किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि मरम्मत आदि की आवश्यकता होती है तो लिखित में सूचना देकर उचित समय में मरम्मत करने की जिम्मेदारी बोलोदाता/संवेदक की होगी। यदि मरम्मत में अधिक समय लगने की संभावना होगी तो बोलोदाता/संवेदक को तब तक अन्य उपकरण लगाने की व्यवस्था करनी होगी।
15. यदि कम्प्यूटर सिस्टम संबंधित विभाग की सन्तुष्टि के अनुसार कार्य नहीं करता है तो निविदादाता बोलोदाता/संवेदक को लिखित में सूचना देकर ठीक कराने हेतु कहा जाएगा। निर्धारित अवधि में उसे ठीक नही कराने पर प्रन्द्रह दिन का नोटिस देकर सविदा निरस्त (Repudiate) किया जा सकेगा।